अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी टुण्डी

वाद संख्या 389 / 2016–17

दिनांक	आदेश	अभियुक्ति
/11/2020	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसे अभिलेख में संलग्न किया गया है। जमांबदी रैयत के वशंज उपस्थित है व उनके द्वारा केवल लगान रसीद प्रस्तुत किया गया है तथा अपने पक्ष में अन्य कोई कागजात प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग नहीं की गई है। मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–04 / स.भू. (दिशा–निर्देश)–95 / 2016. 2074 / रा. दिंनाक–13.05.2016 के कण्डिका–क में वर्णित निर्देश के अनुसार लगान रसीद पूर्वाग्रह रहित होते है। अतएव मात्र लगान रसीद के आधार पर किसी के दावा बिना ठोस साक्ष्य के स्वीकार योग्य नहीं है। पंजी – 2 में प्राधिकार कालॅम में भी किसी प्रकार का कोई आदेश अकिंत नहीं है। जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा समर्पित आवेदन में, पंजी 2 में एवं लगान रसीद में प्लॉट संख्या का भी उल्लेख नहीं है। पंजी 2 की सत्यापति प्रति अभिलेख के संलग्न है। अतः केशो प्रसाद साव के नाम से मौजा–बलारडीह, थाना–टुण्डी, पृष्ट संख्या–74 पर खाता संख्या–50, रकवा–3.33ए0 पर कायम जमाबंदी को संदेहास्पद मानते हुए रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतू अभिलेख भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धनबाद को भेजे। लेखापित एंव संशोधित (हस्ताक्षर) 5/11/2020 अचंल अधिकारी, पूर्वी टुण्डी। (हस्ताक्षर) 5/11/2020 अचंल अधिकारी, पूर्वी टुण्डी।	

Scanned with CamScanner